



चित्रकूट पुलिस



(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनांक 15.10.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा (थाना सरधुवा द्वारा सरधुवा इण्टर कालेज सरधुवा में, थाना मारकुंडी द्वारा ग्रामदादू भाई इंटर कॉलेज मारकुंडी व नई बस्ती अमचूर नेरुवा के पंडाल में, थाना बहिलपुरवा द्वारा बजरंग इण्टर कालेज सपहा में, थाना कोतवाली कर्वी द्वारा चित्रकूट इण्टर कॉलेज कर्वी में, थाना मानिकपुर द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय कस्बा मानिकपुर में, थाना रैपुरा द्वारा कृषक इण्टर कालेज भौरी में, थाना मऊ द्वारा बालिका इण्टर कालेज व प्राणनाथ महामति विद्यालय कस्बा मऊ में,) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वाडों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित

“एंटी रोमियो स्कवायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगों से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2).

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

मिशन शक्ति अभियान के तहत साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान आयोजित, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट श्री रक्षित टंडन की लाइव क्लास का किया गया प्रसारण

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपदवासियों को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से साइबर जागरूकता माह अक्टूबर-2026 के अंतर्गत व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 15.10.2026 को साइबर मुख्यालय के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद चित्रकूट के समस्त थानों की साइबर हेल्प डेस्क टीमों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में साइबर अवेयरनेस संबंधी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट श्री रक्षित टंडन की लाइव क्लास का प्रसारण कर छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा के महत्वपूर्ण Do's & Don'ts के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल श्री विजय कुमार सिंह एवं उनकी टीम के मार्गदर्शन में जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं अन्य स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें थाना बरगढ़ द्वारा एनडीए पब्लिक स्कूल बरगढ़, थाना सरधुवा द्वारा सरधुवा इंटर कॉलेज, थाना मारकुंडी द्वारा ग्राम दादू भाई इंटर कॉलेज मारकुंडी एवं नई बस्ती अमचूर नेरुवा के पंडाल, थाना बहिलपुरवा द्वारा बजरंग इंटर कॉलेज सपहा, थाना कोतवाली कर्वी द्वारा चित्रकूट इंटर कॉलेज कर्वी, थाना मानिकपुर द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय मानिकपुर, थाना रैपुरा द्वारा कृषक इंटर कॉलेज भौरी तथा थाना मऊ द्वारा बालिका इंटर कॉलेज एवं प्राणनाथ महामति विद्यालय, कस्बा मऊ में कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं, बालिकाओं, छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकगण को साइबर अपराधों के विभिन्न प्रकार, उनसे बचाव के उपाय तथा साइबर अपराध घटित होने की स्थिति में तत्काल की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, छात्र-छात्राओं एवं आमजन द्वारा साइबर अपराधों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का समाधान कर उन्हें सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।

चित्रकूट पुलिस द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में साइबर अपराधी फर्जी कॉल, मैसेज, संदिग्ध लिंक, सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल एप एवं विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा ऑनलाइन लेन-देन एवं डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते समय विशेष सतर्कता बरतें।

साइबर अपराध से बचने हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

OTP एवं गोपनीय जानकारी साझा न करें: अपना OTP, ATM/डेबिट कार्ड का PIN, CVV, बैंक खाते की जानकारी एवं पासवर्ड किसी के साथ साझा न करें।

संदिग्ध लिंक से बचें: अनजान नंबर से प्राप्त लिंक पर क्लिक न करें तथा किसी भी अनजान स्रोत से मोबाइल एप डाउनलोड न करें।

डिजिटल अरेस्ट से रहें सावधान: पुलिस, CBI, कस्टम या अन्य सरकारी एजेंसी के नाम पर वीडियो कॉल के माध्यम से डराकर पैसे मांगने वालों के झांसे में न आएं।

ऑनलाइन लेन-देन में सतर्कता बरतें: पैसे प्राप्त करने के लिए UPI PIN डालने की आवश्यकता नहीं होती। भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता का विवरण अवश्य जांचें।

सोशल मीडिया अकाउंट सुरक्षित रखें: मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करें, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें तथा अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से बचें।

फर्जी कॉल एवं प्रलोभनों से बचें: लॉटरी, नौकरी, इनाम, निवेश में अधिक लाभ या अन्य आकर्षक प्रस्तावों के नाम पर मांगे गए पैसे न भेजें।

साइबर अपराध होने पर तत्काल शिकायत करें: साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें अथवा आधिकारिक वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

चित्रकूट पुलिस द्वारा जनपदवासियों से अपील की जाती है कि स्वयं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनें तथा अपने परिवार, मित्रों एवं आसपास के लोगों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। सतर्कता एवं जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका सपना देवी पत्नी मोनू निवासी बांदा ने द्वारा अपने पति के विरुद्ध गाली गलौज कर मारपीट करने आदि के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ०नि० अनुपमा तिवारी, महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह, महिला आरक्षी सोनिका, महिला आरक्षी शिवांगी, महिला आरक्षी अनामिका सिंह शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामंजस्य बिठाकर एवं पारिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीम:-

1. उ०नि० श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2. महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3. महिला आरक्षी सोनिका
4. महिला आरक्षी शिवांगी

5. महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहेवादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी अभयरज, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनांक 15.10.2026 को थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 800/16 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त विकास उर्फ पप्पू विश्वकर्मा पुत्र स्व0 भैयालाल विश्वकर्मा निवासी नई दुनिया बनकट जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). आज दिनांक 15.10.2026 को प्रातः लगभग 07:30 बजे पीआरवी द्वारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भूइहरिमाफी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट में खेरापति तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है।

इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी पुलिस द्वारा ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला गया शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी मौके पर आसपास के लोगों से पूछताछ एवं पहचान कराने का प्रयास किया गया, किन्तु मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

यदि किसी भी व्यक्ति को मृतक की पहचान अथवा उसके संबंध में कोई जानकारी हो, तो कृपया तत्काल निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पर सूचना देने का कष्ट करें—

प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली कर्वी--: 9305101117, 9454403205

(6). दिनांक 14.10.2026 को प्रातः लगभग 12:30 बजे रेलवे स्टेशन मानिकपुर से एक किता मेमो फौती प्राप्त हुआ कि नाम पता अज्ञात पुरुष का शव मानिकपुर रेलवे स्टेशन के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया कस्बा मानिकपुर जनपद चित्रकूट में पड़ा है।

इस सूचना पर थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही की गयी मौके पर आसपास के लोगों से पूछताछ एवं पहचान कराने का प्रयास किया गया, किन्तु मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।

यदि किसी भी व्यक्ति को मृतक की पहचान अथवा उसके संबंध में कोई जानकारी हो, तो कृपया तत्काल निम्नलिखित मोबाइल नंबरों पर सूचना देने का कष्ट करें—

प्रभारी निरीक्षक, थाना मानिकपुर--: 9305101104, 9454403206

(7).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश प्रताप के मार्गदर्शन में उ0नि0 अनूप कुमार शुक्ला द्वारा युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 20.09.2026 थाना मऊ निवासी एक वादी द्वारा थाना पर सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री रमाशंकर पुत्र रामआसरे निवासी बसरेही मजरा बियावल थाना मऊ जनपद चित्रकूट से फोन पर बात करती थी दिनांक 19.09.2026 की रात्रि करीब 11 बजे मेरी पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गयी बहुत खोजबीन करने पर भी नहीं मिली। रमाशंकर उपरोक्त मेरी लडकी को भगा ले गया है। इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 342/26 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 15.10.2026 को उ0नि0 श्री अनूप कुमार शुक्ला द्वारा अभियुक्त रमाशंकर उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।